

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : १०९ / प्र०३०(त०४०-२) / जोन-२ / प्रत्ता० / २०१५-१६ दिनांक ०२/०४/२०१६

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उम्प्र० नगर नियंत्रण पथा विकास आडिनेयम 1973 के पारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ उठ न आएँगना चाहिये कि उस सूनि के सामने ने जिस पर व्यवसायिक भवन नानिव्र स्थीरकृत मिला जा रहा है इसके किसी प्रकार य फिरी रसानीय निकाय य हस्तन स्थानीय अधिकारी य लालिका अथवा फर्म के मालेकाना अधिकारों पर केवल का कोई असर नहीं आयेगा यह उन्नाहि मिली के अभिकृत य स्थानिक के अधिकारों पर दिल्ली कोई प्रभाव न उखेगी

श्री गणन ख्यों, श्री अब्दुल इहमान ख्यों, श्री इस्लाम ख्यों, श्री अब्दुल रहीम ख्यों श्री अब्दुल्ला ख्यों व श्री करीम पुत्र रख्या अब्दुल बहाव दस्ता मकान नं०-३५५ पुराना कटरा, परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद जैन संख्या (२) के अन्तर्गत वारिला व्याराइक गान मानचित्र के फूम में निर्माकित महिलाओं के अधिन प्रदान की जाती है —

- उम्रण मनार नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को छत्ते उक्त (1) के उत्तराधि पूर्णता प्रमाण एवं प्राप्त होने के पश्चात ही दाखेग/अधिभोग गिया जायेगा। इनमें निर्मित एवं विकस उपर्योगि 2008 मे उपयोगि राख्या-2013 तक 3.1.5 मे नियाशिया प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-एवं प्राप्त करना अवश्यक है।
 - यह लोकोत्त आनंदित (Provisional) रुटीने के रूप मे होगा। निर्मित पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात, निर्मित किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-एवं प्राप्त' प्राप्त करने के बाद ही इस नियोजन के वरतातिक उपयोग मे जब जा सकेगा।
 - स्थल पर 4X3 फिट का एक बोहं लगाकर प्राधिकरण द्वारा रवीकृत मानवित सन्दर्भी लियरग अधिकत करना अनियाप्त होगा, जिसमें आकेंटकट/इन्जीनियर के फॉर्म का नम सौ अंकित हो।
 - निर्मित किये जाने वाले भट्ठन की राशना सुख्खा रुद्ध गुणवत्त का दायित्व इव्ह अवेदकगण का होना।
 - प्रस्तुत मानवित भूतल के अप्रभाव एवं पार्किंग स्थिति इत्यादि, अथवा ५५ द्वितीय तरफ पर भी शोषण का नियापि को अनुगमी होने ते यादनुसार हैं निर्मित कार्ट किया जाय।
 - स्थल पर नैजित पूर्खों नियोजन को रद्दचल इन्जीनियर के देख-रेख मे इससा अध्यान होगा तथा वह सुनिश्चित ही किया जाय कि झगल-वगल की सम्भित अथवा जन्म-वन की हानि करापि न होने यार इस हेतु दिए गये शपल पर दिनांक 15.03.2010 का अधारश अनुपालन किया जाय।
 - नननिय न्यायालय मे कोई बाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति मे प्रदल्ल रुद्ध कृति गन्नीव न्यायालय के नियंत्रण के अन्तीम होगी यह स्वीकृति ग्र-रायोड का अधिकर प्रदान नहीं करती है। भू स्वामित्व सन्दर्भी कोई भी विव द सञ्चय न्यायालय/प्राइवेटी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
 - विनिन रायथ एवं जायी शासनदेश न नियमों वा प्रलान करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क अप्रोप्रि करता है तो उसे पद्धति लो जाए। कृना होगा।
 - यदि आवेदक द्वारा कोई नहलपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा उत्त सूचना दी गयी है तो उम्रण नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्दरून नानावित नियस्ता करने वोध्य होगा।
 - यह स्वीकृत पत्र केवल गाँव वर्ग को शापि के लिए है।
 - नकान नियांग रो यदि नाली के सदृक की घटी अथवा सदृक या नाली के लेखी भाग (जो मछान के आप्र शाप, पृष्ठ भाग अथवा एसके अकर के कारण ढक गई हो) लो हनि पहुँचे तो नृदूर्लभी तो यार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने ५० लिखित सूचना द्वारा और शीध कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे रो गरमत लगाकर नृदूर्वत उपरथा जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तुष्ट हो जाय, मे कर देगा।
 - गृह नियांग के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि नारतीय विद्युत अधिनियम 1950 (इंडियन इलेक्ट्रिकिटी लॉन्ड 1955) नियांग 62 का तत्त्वान्वयन किसी भी दशा ये न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण के ज्ञानवारी मे ऐसे सम्बन्धी पाये गये तो उठ ऐसे नियांग को रोक अथवा ८०वा सकत है।
 - आवेदक के नियमनुसार विकास प्राधिकरण को गवान की गाँव तक हथ पकड देने जाने तर्ह उसके पूर्ण हो जाए की सूचना एकान आवाद होने से नुक्त देना होगा तथ एस जाफो का नाम भी देना ४०-पा जिसके निरिक्षण मे १०-० निर्मित हुआ है।
 - यदि नियांग ने गारटर स्लान का उल्लंघन होता पाय तो नियांगर्वा को दी नई स्टोक्सो रुद्ध स्मद्दी दायेगी और देया न्या नियांग अनधिकृ नीमित जर उत्ता अधिनेधम की धारा 27 (1) के भारतीय क्रांतिपाद्धति/टारम की जायेगी।

१८७५-१८८६

